प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कलवा पुत्र श्री विष्णु उर्फ खब्बा, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14659/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.04.2022) दिनांक-06.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कलवा पुत्र श्री विष्णु उर्फ खब्बा, ग्राम-पुरा, थाना-मंसूरपुर, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक-27.05.2001 को कु0 शैलजा उम्र लगभग 08 वर्ष के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी का सत्र परीक्षण संख्या-602/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376/511 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट्र ट्रैक कोर्ट सं0-02, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 22.04.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बन्दी द्वारा दिनांक 22.09.2021 तक 20 वर्ष 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 08 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा बन्दी मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध विशेष तक सीमित नहीं होने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी शातिर किस्म का अपराधी होने के कारण जेल में रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 27.05.2001 को कु0 शैलजा उम्र लगभग 08 वर्षीय के साथ बलात्कार कर गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होने, बन्दी शातिर किस्म का अपराधी होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 व 10 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत कलवा पुत्र श्री विष्णु उर्फ खब्बा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कलवा (बन्दी संख्या-15917) पुत्र श्री विष्णु उर्फ खब्बा, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

विनोद कुमार द्विवेदी

उप सचिव।

संख्या-391/2024/1423(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-391/2024/1423/22-2-2022-17(337)/2022

दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कलवा पुत्र श्री विष्णु उर्फ खब्बा, ग्राम-पुरा, थाना-मंसूरपुर, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक-27.05.2001 को कु0 शैलजा उम्र लगभग 08 वर्ष के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी का सत्र परीक्षण संख्या-602/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376/511 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट्र ट्रैक कोर्ट सं0-02, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 22.04.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बन्दी द्वारा दिनांक 22.09.2021 तक 20 वर्ष 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 08 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा बन्दी मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध विशेष तक सीमित नहीं होने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी शातिर किस्म का अपराधी होने के कारण जेल में रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 27.05.2001 को कु0 शैलजा उम्र लगभग 08 वर्षीय के साथ बलात्कार कर गला दबाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होने, बन्दी शातिर किस्म का अपराधी होने का अंकन जनपदीय अधिकारितयों द्वारा निर्दिष्ट 05 व 10 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत कलवा पुत्र श्री विष्णु उर्फ खब्बा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।